सं.19047/10/2016-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

12 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः समितियों/पैनलों/बोर्डों आदि के गैर-सरकारी सदस्यों के संबंध में बैठक शुल्क के भुगतान के लिए मंत्रालयों/विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समितियों/पैनलों/बोर्डों आदि के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक शुल्क के भुगतान से संबंधित मुद्दों की व्यय विभाग में जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक सचिव अपने वित्त सलाहकारों के परामर्श से और अपने मंत्रियों के अनुमोदन से समितियों/पैनलों/बोर्डों आदि के गैर-सरकारी सदस्यों के संबंध में बैठक शुल्क निर्धारित कर सकते हैं।

2. गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक शुल्क के भुगतान के प्रस्तावों पर विचार करते समय मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित निर्देशों/दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखने का निदेश दिया जाता हैः-

2.1 **समितियों का वर्गीकरणः** बैठक शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए समितियों/बोर्डों/पैनलों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जाता हैः-

(i) **उच्च स्तरीय समितिः** मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 15.04.2002 के परिपत्र सं.1/16/1/2000-कैब के अनुसार उच्च स्तरीय समिति वह समिति है जिसका गठन मंत्रिमंडल सचिव के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से किया जाता है और जिसकी अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी अर्थात् मंत्री, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, कुलपति आदि द्वारा की जाती है और जिसमें सदस्यों के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।

(ii) **तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समितिः** तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समिति वह समिति है जिसका गठन विषय से संबंधित अधिनियमों/नियमों/अधीनस्थ विधान के अंतर्गत यथानिर्धारित कार्यों का निर्वाह करने के लिए किया जाता है। ऐसी समिति का गठन संबंधित मंत्रालय के मंत्री के अनुमोदन से करना होता है। यदि समिति में कोई संसद सदस्य शामिल किया जाता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय के दिनांक 15.04.2002 के परिपत्र सं.1/16/1/2000-कैब के अनुसार उन्हें शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

(iii) **अन्य समितियां:** अन्य सभी समितियां इस वर्ग में शामिल होंगी। इन समितियों का गठन प्रशासनिक सचिव अथवा मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा।

2.2 **गैर-सरकारी सदस्य की परिभाषाः** बैठक शुल्क प्रदान करने के प्रयोजन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों को गैर-सरकारी माना जाएगा जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी संस्था/संगठन/निकाय में नियोजित नहीं हैं।

3. **<u>बैठक शुल्क की दरें:</u>** मंत्रालय/विभाग समितियों अर्थात् उच्च स्तरीय समिति, तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समिति और अन्य समितियों के वर्गीकरण के आधार पर यह सुनिश्चित करेंगे कि गैर-सरकारी अध्यक्ष/सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले बैठक शुल्क की अधिकतम दरें निम्नलिखित दरों से अधिक नहीं:-

(i)	**उच्च स्तरीय समिति**	:	**बैठक के 10,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं।**
(ii)	**तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समिति**	:	**बैठक के 6,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं।**
(iii)	**अन्य समितियां**	:	**बैठक के 4,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक नहीं।**

4. मंत्रालय/विभाग समितियों/बोर्डों/पैनलों के गैर-सरकारी अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए बैठक शुल्क की दरों की गणना करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगेः

i. मंत्रालयों/विभागों को बैठक शुल्क की राशि पर विचार करते समय समिति के स्वरूप और कार्यक्षेत्र, समिति को सौंपे गए विषय के महत्व, समिति की श्रेणी (जैसे उच्च स्तरीय समिति, तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समिति अथवा अन्य समिति), अध्यक्ष/सदस्यों के स्तर/हैसियत, समिति की अवधि, बैठकों की बारंबारता, समिति के विचारणीय विषय आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखना है।

ii. किसी भी स्थिति में सभी श्रेणियों की समितियों अर्थात् उच्च स्तरीय, तकनीकी अथवा विशेषज्ञ समितियों और अन्य समितियों की एक माह में बैठकों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसी समितियां आदेश में विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए गठित की जाती हैं।

iii. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी समितियों/बोर्डों/पैनलों आदि के लिए नामित सरकारी कर्मचारी बैठक शुल्क के हकदार नहीं होंगे।

iv. उपर्युक्त मानदंडों से विचलन की मांग करने से संबंधित मामले, विचलन की मांग का पूर्ण औचित्य देते हुए वित्त मंत्रालय को भेजे जाएं।

5. ये निर्देश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

6. इसे वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव
12/04/2017

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफेक्सः 23093276

1. **सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)**
2. **सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकार (मानक सूची के अनुसार)**
3. **मंत्रिमंडल सचिवालय- सूचनार्थ**